

**बिहार सरकार
(सिविल विमानन विभाग)**

सं०- सि०वि०वि०(योजना)-09-16/2026- 103

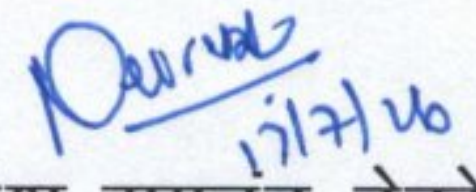
पटना, दिनांक- 20/07/2026

।। अधिसूचना ।।

राजगीर तथा रोहतास एवं कैमूर क्षेत्र में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा के निर्माण हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) की स्वीकृति दिनांक-15.07.2026 को मंत्रिपरिषद की संपन्न बैठक में मद संख्या-21 के रूप में सम्मिलित करते हुए प्रदान की गयी है (समझौता ज्ञापन (MoU) का हिन्दी एवं अंग्रेजी संस्करण क्रमशः परिशिष्ट-1 एवं परिशिष्ट-2 के रूप में संलग्न)।

राजगीर तथा रोहतास एवं कैमूर क्षेत्र में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों का पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन (Pre Feasibility Study) हेतु दोनों पक्षों की भूमिकाएँ एवं उत्तरदायित्व स्पष्ट रूप से निर्धारित होंगे। इससे आवश्यक तकनीकी एवं भौगोलिक सूचनाओं का समयबद्ध आदान-प्रदान सुनिश्चित होगा तथा अध्ययन प्रक्रिया में समन्वय एवं पारदर्शिता आएगी। साथ ही हवाई अड्डा का निर्माण तेजी से होगा। हवाई अड्डा का निर्माण होने से राज्य एवं स्थानीय निवासियों को हवाई आवागमन एवं आर्थिक विकास में मदद मिलेगा।

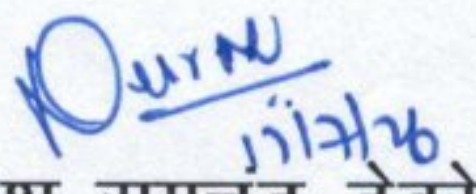
बिहार राज्यपाल के आदेश से


(डॉ० निलेश रामचंद्र देवरे)
सचिव

ज्ञापांक- सि०वि०वि०(योजना)-09-16/2026- 103

पटना, दिनांक- 20/07/2026

- प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/माननीय मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव को सादर सूचनार्थ समर्पित।
प्रतिलिपि:- सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली/अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली को सादर सूचनार्थ समर्पित।
प्रतिलिपि:- सचिव, वित्त विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, नालंदा/रोहतास/कैमूर को सूचनार्थ प्रेषित।


(डॉ० निलेश रामचंद्र देवरे)
सचिव



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

[MoU]

For

Pre-Feasibility Study at Two locations in the State of Bihar

BETWEEN

AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA (AAI)

AND

GOVERNMENT OF BIHAR (GoB)

.....,2026

This page in intentionally left Blank

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

This Memorandum of Understanding ("MoU") is made and entered into on this [.....
2026] at [.....]

BETWEEN

The State Government of Bihar (GoB) through **Pratyaya Amrit, IAS, Chief Secretary, Government of Bihar** having its office at Old Secretariat, Patna-800015, Bihar, hereinafter referred to as "**GoB**" which expression shall, unless it be repugnant to the context or meaning thereof, include its administrators, executives, assigns hereafter called the "**GoB**" of the **First Part**.

AND

AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA (AAI), a statutory Authority established under the Airports Authority of India Act, 1994 and having its Corporate Office at Rajiv Gandhi Bhawan Safdarjung Airport, New Delhi -110003 through **Chairman, AAI New Delhi-110003** hereinafter referred to as "**AAI**", which expression shall, unless it be repugnant to the context or meaning thereof, be deemed include its administrators, executors, assigns, of the **Second Part**.

GoB and **AAI** are hereinafter collectively referred to as "**Parties**" and individually as "**Party**". The aforementioned parties desire to enter into this Memorandum, whereby They shall collaborate to achieve the objectives delineated below This MoU forms a stepping stone for the Development of Civil Aviation in the State of Bihar.

This MoU is being executed between Government of Bihar and Airports Authority of India in accordance with the provisions of Airports Authority of India/Airports infrastructure Policy 1997/National Civil Aviation Policy (NCAP) 2016 / Greenfield Policy - 2008/Guidelines for setting up of Greenfield Airports in the country issued by Ministry of Civil Aviation (MoCA) for facilitating the growth of Airport in Bihar.

1.0 BACKGROUND: -

- 1.1 The Government of Bihar (the "**State**") proposes the establishment of Two Greenfield Airports at selected locations to enhance regional air connectivity, tourism, and trade.
- 1.2 The State vide D.O. letter No.-795, dated-17.06.2026, formally requests technical support for conducting pre-feasibility studies at the identified sites. (Annex-1)
- 1.3 The MoCA Letter No. AV-24030/119/2022-AD dated 23.07.2025 regarding "*Rationalization of Consultancy and Related Charges by AAI for conduct and preparation of Pre-feasibility Studies, Detailed Project Reports (DPR) and other technical assessments etc. for identified sites for development of Greenfield Airports across the Country*". (Annex-2)

2. PROPOSED LOCATIONS:

- 2.1 One Site in Rajgir (Nalanda District)
- 2.2 One Site in Sasaram–Kaimur Region, Bihar

3. SCOPE OF MoU: -

- 3.1 Conducting Pre-Feasibility Studies for proposed Greenfield Airport locations in Bihar and submission of report thereafter.

4. ROLES AND RESPONSIBILITIES:

4.1 General

- 4.1.1 This Memorandum of Understanding serves as a non-binding statement of intent that does not create any legal obligations or enforceable rights for the involved parties. Instead, it establishes a framework for the parties to collaboratively identify and pursue development priorities for the proposed airports.

4.2 Government of Bihar (GoB) shall provide following:

- 4.2.1 Co-ordinates of the proposed site in WGS-84 system.
- 4.2.2 Revenue map of the site indicating the khasra nos.
- 4.2.3 Line diagram sketch of the site indicating the overall geometrical shape as well as dimensions of the proposed site.
- 4.2.4 Survey of India map in the scale of 1:50000.
- 4.2.5 Meteorological data of the last ten years from the Indian Meteorological Deptt. (IMD).
- 4.2.6 Windrose diagram of the proposed site from IMO.
- 4.2.7 Contour Map of site showing extent of land.
- 4.2.8 Type of critical aircraft for which the site for an airport is planned.
- 4.2.9 Type of operations desired - VFR or IFR.

4.3 Airports Authority of India (AAI):

- 4.3.1 To visit the site and study in the purview of feasibility to develop the Greenfield Airport and submit the report.
- 4.3.2 The feasibility study of two sites will be done free of cost in Non-Priority Areas as per the provisions contained in the letter AV. 24030/1/19/2022-AD dated 23.07.2025 in present financial year.

IN WITNESS WHEREOF, the Parties here to have caused this MoU to be executed by their duly authorised representatives.

For and on behalf of GoB	For and on behalf of AAI
Signature : Name : Pratyaya Amrit, IAS Designation : Chief Secretary, Bihar	Signature: Name : Vipin Kumar, IAS Designation : Chairman, AAI
Witness Signature _____ Name _____ Designation _____	Witness Signature _____ Name _____ Designation _____

समझौता ज्ञापन

(MoU)

बिहार राज्य में दो स्थानों पर पूर्व-व्यवहार्यता
अध्ययन हेतु

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI)

एवं

बिहार सरकार (GoB)

के बीच

....., 2026

यह पृष्ठ जानबूझकर रिक्त छोड़ा गया है।

समझौता ज्ञापन

यह समझौता ज्ञापन ("MoU") वर्ष 2026 के.....दिनांक कोस्थान पर निष्पादित किया गया।

के मध्य

बिहार सरकार (GoB) श्री प्रत्यय अमृत, भा.प्र.से., मुख्य सचिव, बिहार सरकार, जिनका कार्यालय पुराना सचिवालय, पटना, 800015, बिहार में स्थित है, के माध्यम से, जिसे आगे "GoB" कहा जाएगा। प्रसंगानुसार इसमें इसके प्रशासक, उत्तराधिकारी एवं अधिकृत प्रतिनिधि भी सम्मिलित होंगे। यह इस समझौते का प्रथम पक्ष होगा।

तथा

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 के अंतर्गत स्थापित एक सांविधिक निकाय, जिसका कॉर्पोरेट कार्यालय राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली, 110003 में स्थित है तथा जिसकी ओर से अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा प्रतिनिधित्व किया जा रहा है। आगे इसे "AAI" कहा जाएगा। प्रसंगानुसार इसमें इसके प्रशासक, उत्तराधिकारी एवं अधिकृत प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे। यह इस समझौते का द्वितीय पक्ष होगा।

GoB एवं AAI को सामूहिक रूप से "पक्षकार" तथा व्यक्तिगत रूप से "पक्ष" कहा जाएगा। दोनों पक्ष बिहार राज्य में नागरिक उड्डयन के विकास हेतु इस समझौता ज्ञापन के माध्यम से सहयोग करने के इच्छुक हैं। यह MoU बिहार राज्य में नागर विमानन क्षेत्र के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

यह MoU भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति (NCAP)-2016, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट नीति-2008 तथा नागर विमानन मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप बिहार राज्य में हवाई अड्डों के विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से निष्पादित किया जा रहा है।

1.0 पृष्ठभूमि:—

- 1.1 बिहार सरकार राज्य में क्षेत्रीय हवाई संपर्कता, पर्यटन तथा व्यापार को बढ़ावा देने हेतु चयनित स्थानों पर दो ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की स्थापना का प्रस्ताव करती है।
- 1.2 बिहार सरकार द्वारा पत्रांक 795, दिनांक 17.06.2026 के माध्यम से चयनित स्थलों पर पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन (Pre-Feasibility Study) हेतु तकनीकी सहयोग का अनुरोध किया गया है। (अनुलग्नक-1)
- 1.3 नागर विमानन मंत्रालय के पत्रांक AV-24030/119/2022-AD, दिनांक 23.07.2025 के अनुसार देश में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों हेतु पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन, विस्तृत

परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तथा अन्य तकनीकी आकलन से संबंधित परामर्श शुल्क के युक्तिकरण के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। (अनुलग्नक-2)

2. प्रस्तावित स्थान:—

- 2.1 एक स्थल, राजगीर (जिला नालंदा)
- 2.2 एक स्थल, सासाराम-कैमूर क्षेत्र, बिहार

3. समझौता ज्ञापन का कार्य क्षेत्र:—

- 3.1 बिहार राज्य में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के लिए पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन करना तथा उसके उपरान्त अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।

4. भूमिकाएँ एवं उत्तरदायित्व:—

4.1 सामान्य

- 4.1.1 यह समझौता ज्ञापन केवल सहयोग एवं पारस्परिक सहमति का एक गैर-बाध्यकारी (Non-Binding) दस्तावेज़ है। इससे किसी भी पक्ष पर कोई वैधानिक दायित्व अथवा न्यायिक रूप से प्रवर्तनीय अधिकार उत्पन्न नहीं होंगे। इसका उद्देश्य प्रस्तावित हवाई अड्डों के विकास हेतु दोनों पक्षों के बीच सहयोग का एक ढांचा स्थापित करना है।

4.2 बिहार सरकार (GoB) निम्नलिखित उपलब्ध कराएगी:—

- 4.2.1 प्रस्तावित स्थल के WGS-84 प्रणाली में निर्देशांक (Coordinates)।
- 4.2.2 खेसरा संख्या सहित राजस्व मानचित्र।
- 4.2.3 स्थल का रेखाचित्र, जिसमें उसकी समग्र ज्यामितीय आकृति एवं आयाम दर्शाए गए हों।
- 4.2.4 भारतीय सर्वेक्षण विभाग (Survey of India) का 1:50000 पैमाने का मानचित्र।
- 4.2.5 भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) से पिछले 10 वर्षों का मौसम संबंधी आँकड़ा।
- 4.2.6 प्रस्तावित स्थल का विंड-रोज़ (Wind Rose) आरेख।
- 4.2.7 स्थल की समोच्च (Contour) मानचित्र, जिसमें भूमि की सीमा स्पष्ट हो।
- 4.2.8 प्रस्तावित हवाई अड्डे हेतु विचारित क्रिटिकल विमान (Critical Aircraft) का प्रकार।
- 4.2.9 प्रस्तावित संचालन का प्रकार—VFR अथवा IFR।

4.3 भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI)

- 4.3.1 प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण कर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास की व्यवहार्यता का अध्ययन करेगा तथा अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा।

4.3.2 दिनांक 23.07.2025 के नागर विमानन मंत्रालय के पत्र के अनुसार, वर्तमान वित्तीय वर्ष में गैर-प्राथमिकता (Non-Priority) क्षेत्रों के अंतर्गत दोनों स्थलों का पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन निःशुल्क किया जाएगा।

साक्ष्य स्वरूप, पक्षों ने इस समझौता ज्ञापन को निम्नलिखित तिथि को निष्पादित किया है।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) की ओर से एवं उसके लिए नाम: श्री विपिन कुमार, भा०प्र०से० पदनाम: अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण दिनांक: हस्ताक्षर:	बिहार सरकार (GoB) की ओर से एवं उसके लिए नाम: श्री प्रत्यय अमृत, भा०प्र०से० पदनाम: मुख्य सचिव, बिहार दिनांक: हस्ताक्षर:
साक्षी 1. 2.	साक्षी 1. 2.